संख्या-149/49-1-2022

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग),

सहकारिता, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 25 अप्रैल 2022

विषय- प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में एक मुश्त समाधान योजना की अवधि दिनाँक 30.09.2022 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-143/अधि0-2/ओ0टी0एस0/2022-23 दिनांक 13.04.2022 का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं0-1/128709/2022 दिनोंक 04.01.2022 द्वारा प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से पूर्व से लागू एक मुश्त समाधान योजना की अवधि दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ाये जाने की औपचारिक सहमति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में पूर्व से लागू एक मुश्त समाधान योजना की अवधि दिनॉक 30.09.2022 तक विस्तारित किये जाने परऔपचारिक सहमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) बी0सी0एस0, मोबाइल वैन, माइको एटीएम, यू0पी0सी0बी0ध्डी0सी0 बी0 द्वारा एमआईएस योजना के माध्यम से अधिकतम वसूली सुनिश्चित की जायेगी।

(2) योजना की अवधि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनाँक 30.09.2022 तक के लिये होगी।

(3) उक्त योजनान्तर्गत वसूल की जाने वाली धनराशि में नियमानुसार संग्रह शुल्क भी सम्मिलित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव ।

पृष्ठांकन सं0-149(1)/49-1-2022 तदिद्दनॉक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1 - प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव ।